(376)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2016 R-3951-II-16

1. बाला,
2. हुकुमचंद,
3. अनसुइया, समस्त पुत्रगण लोकदीन राठौर,
4. कल्लू पिता फुनी राठौर, समस्त निवासीगण- ग्राम सेन्दुरी तहसील- अपनूपपुर जिला अनूपपुर (म.प्र.)

---आबेदकगण

विरूद्ध

1. ददन पिता सेठे पटेल,
2. बृन्दावन पिता निर्मल पटेल,
3. बुगानाबाई बेवा निर्मल पटेल समस्त निवासीगण- ग्राम पिपरियां तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

---अनावेदकगण

कोर्ट फीस ... 23-11-16

23-11-16

583
23-11-16

23-11-16
अभिभाषक (अधि॰)

न्यायालय तहसीलदार, तहसील अनूपपुर, जिला अनूपपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/23अ-03/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 25/07/2016, के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, ग्राम छलहा तहसील अनूपपुर जिला अनूपपुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 39 रकबा 1.676 हे. में से बटांकित सर्वे क्रमांक 39/2/ख/1 रकबा 0.622 हे. का कुछ भाग पी.डब्ल्यू.डी. अनूपपुर जैतहरी रोड में शासन द्वारा अधिग्रहित किया गया एवं शेष रकबा अनावेदक क्रमांक 1 ददन द्वारा रामलखन को विक्रय किया गया। तत्पश्चात् रामलखन द्वारा उक्त शेष रकबा आवेदकगण को रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर कब्जा प्रदान किया गया। तदानुसार आवेदकगण उक्त भूमि पर बेरोकटोक काबिल कास्त करते हुये चले आ रहे है।

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3951-दो/2016 जिला अनूपपुर

बाला विरूद्ध ददन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार अनूपपुर, जिला अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 2/2/अ-3/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 25-07-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-05-2019 को कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 18/03/2019 सदस्य	